"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 168] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 28 अप्रैल 2016— वैशाख 8, शक 1938

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 6 अप्रैल 2016

विज्ञापन

क्रमांक एफ 8-7/सात-1/2016. — भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 51 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 4-47/सात-1/2015 दिनांक 28 जनवरी, 2016 द्वारा गठित राज्य स्तरीय "भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण" हेतु स्वीकृत "पीठासीन अधिकारी (जिला न्यायाधीश संवर्ग में छत्तीसगढ़ उच्चतर न्यायिक सेवा से)" के रिक्त 01 पद को भरने के लिए, इच्छुक व्यक्तियों से संपूर्ण विवरण सहित आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं.

आवेदन पत्र निम्नांकित पते पर प्राप्त होना चाहिए :-

सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर (कक्ष क्रमांक एस-2-21) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर दिनांक 30-04-2016 तक (फैक्स क्रमांक 0771-2510122, 2221972, 2221242 अथवा राजस्व विभाग के ई-मेल पते revenue.cg@nic.in) प्राप्त हो, पर विचार किया जायेगा.

1. **नियुक्ति के लिए अर्हताएं -** राज्य स्तरीय "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण" में पीठासीन अधिकारी (जिला न्यायाधीश संवर्ग में छत्तीसगढ़ उच्चतर न्यायिक सेवा से),-
   (1) वह जिला न्यायाधीश है या रहा है.

2. **नियुक्ति हेतु चयन की रीति -** पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से की जायेगी.

3. **पीठासीन अधिकारी की पदावधि -** राज्य स्तरीय गठित प्राधिकरण के पीठासीन अधिकारी, उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करेगा, तीन वर्ष की अवधि के लिए या पैंसठ वर्ष की आयु पूरी करने तक, जो भी पूर्वत्तर हो, पद धारण करेगा.

4. **पीठासीन अधिकारी के वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें -** अधिनियम की धारा 56 के अनुसार प्राधिकरण के पीठासीन अधिकारी को संदेय वेतन और भत्ते तथा उसकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें (जिनके अंतर्गत पेंशन, उपदान और अन्य सेवानिवृत्ति फायदे भी हैं,) वही होंगी, जो विहित की जाएं.

5. **रिक्तियों का भरा जाना -** प्राधिकरण के पीठासीन अधिकारी के पद में, अस्थायी अनुपस्थिति से भिन्न किसी कारण से कोई रिक्ति होती है तो उस रिक्ति को भरने के लिए, उपरोक्त खण्ड 2, 3 एवं 4 में विहित मापदण्ड अनुसार किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति की जा सकेगी.

6. **सेवा से त्याग पत्र और हटाया जाना -** (1) प्राधिकरण का पीठासीन अधिकारी, राज्य शासन को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लिखित सूचना द्वारा अपना पद त्याग सकेगा,

परन्तु पीठासीन अधिकारी, जब तक उसे शीघ्र अपना पद त्यागने के लिए राज्य शासन द्वारा अनुज्ञात नहीं किया जाता है, तब तक ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीन मास की समाप्ति तक या उसके उत्तरवर्ती के रूप में सम्यक् रूप से नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा उसका पद ग्रहण करने तक या उसकी पदावधि की समाप्ति तक, जो भी पूर्वत्तर हो, पद धारण करता रहेगा.

(2) पीठासीन अधिकारी को, उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा किसी प्राधिकरण के पीठासीन अधिकारी के मामले में ऐसी जांच किए जाने के पश्चात् जिसमें संबंधित पीठासीन अधिकारी को उसके विरुद्ध आरोपों के बारे में सूचित किया गया हो और उन आरोपों के संबंध में सुने जाने का युक्ति-युक्त अवसर दिया गया हो, साबित कदाचार या अक्षमता के आधार पर राज्य शासन द्वारा किये गये आदेश के सिवाय, उसके पद से नहीं हटाया जाएगा.

7. **प्राधिकरण के पीठासीन अधिकारी की शक्तियां और उसके समक्ष कार्यवाही -** राज्य स्तरीय प्राधिकरण को, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) के अधीन अपने कृत्यों के प्रयोजन के लिए, वही शक्तियां होगी, जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 का 5) के अधीन, किसी सिविल न्यायालय में निहित है.

हस्ता./-
(के. आर. पिस्दा)
सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.